

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 198/16

अनवान :

धर्मपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. लिलुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. मेहरचन्द पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. प्रतापसिंह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. फुलीदेवी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. आरएमजीबी ग्रामीण बैंक कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी - वादी

निर्णय

दिनांक : 19.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कलाना तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं० 508/488 के खसरा सं० 950 की 1.986 है०, खसरा सं० 951 की 8.007 है० खसरा सं० 953 की 3.795 है० कुल तादादी 13.788 है० बारांनी खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी धर्मपाल का 2.681 है०, प्रतिवादी लिलुराम के नाम 3.447 है० प्रतिवादी मेहरचन्द के नाम 3.447 है०, प्रतिवादी प्रतापसिंह, रामस्वरूप के नाम से 3.064 है० बहिस्सा बराबर प्रतिवादी फुली के नाम से 1.149 है० खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच वाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें वादी के हिस्सा में वादभूमि के खसरा सं० 953 के उतरी तरफ की भूमि बंटवारा में आई हुई है। इसी भूमि पर वादी की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादी ने अपने हिस्से में आई खसरा सं० 953 की उतरी तरफ की भूमि पर लाखों रुपये खर्च कर उसे समतल एवं उपजाऊ बनाया है। वाद भूमि के सम्बन्ध में माल लगान सीव डोल आदि को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद बना रहता है। ऐसे में वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा के रोही कलाना के खसरा सं० 953 के उतरी तरफ की 2.681 है० भूमि में वादी के हिस्सा की भूमि का खाता अलग से कायम किया जाकर माल एवं लगान अलग से कायम किया जावे।

वादी ने अन्य सहखातेदारान से अपना खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु हस्तगत वाद दायर किया है जिसमें तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर पक्षकारान को सुना गया, कोई

5/20



धर्मपाल बनाम लिलूराम आदि


एतराज/आपल्लि प्राप्त नहीं होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. धर्मपाल पुत्र रेखाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार के पास : ग्राम कलाना के खसरा सं० 953 की 2.681 है० किता 1 कुल क्षेत्रफल 2.681 है० बारानी
2. लिलूराम 3.447 है० मेहरचन्द 3.447 है० फुलीदेवी 1.149 है० पि० रेखाराम प्रतापसिंह रामस्वरूप पि० मुन्शीराम 3.064 है० कौम जाट साकिन देह खातेदार के पास :- ग्राम कलाना के खसरा सं० 953/1 की 1.114 है० खसरा सं० 950 की 1.986 है०, खसरा सं० 951 की 8.007 है० कुल किता 3 की 11.107 है० बारानी, लीलूराम प्रतापसिंह हि० राहिन आरएमजीबी शाखा कलाना रामस्वरूप हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा भादरा

चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 198/16

अनवान :

धर्मपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. लिलुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. मेहरचन्द पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. प्रतापसिंह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. फुलीदेवी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
6. आरएमजीबी ग्रामीण बैंक कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. धर्मपाल पुत्र रेखाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार के पास : ग्राम कलाना के खसरा सं० 953 की 2.681 है० किता 1 कुल क्षेत्रफल 2.681 है० बारानी
2. लिलुराम 3.447 है० मेहरचन्द 3.447 है० फुलीदेवी 1.149 है० पि० रेखाराम प्रतापसिंह रामस्वरूप पि० मुन्शीराम 3.064 है० कौम जाट साकिन देह खातेदार के पास :- ग्राम कलाना के खसरा सं० 953/1 की 1.114 है० खसरा सं० 950 की 1.986 है०, खसरा सं० 951 की 8.007 है० कुल किता 3 की 11.107 है० बारानी, लीलुराम प्रतापसिंह हि० राहिन आरएमजीबी शाखा कलाना रामस्वरूप हिस्सा आईसीआईसीआई शाखा भादरा

चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.7.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़